



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 18 मई, 2020

बैशाख 28, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-3

संख्या 323/76-3-2020-10जीडब्ल्यू-2014टी०सी०(प्रशमन)

लखनऊ, 18 मई, 2020

अधिसूचना

सा० प० नि०-27

उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019) की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, धारा 39 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन निर्दिष्ट किसी अपराध के प्रशमन के लिये राज्य के प्रत्येक जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद के अध्यक्ष को नामनिर्दिष्ट करती है।

आज्ञा से,

अनुराग श्रीवास्तव,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 323/LXXVI-3-2020-10gw-2014T.C. (Comp. offi.), Lucknow dated May 18, 2020 :

No. 323/LXXVI-3-2020-10gw-2014T.C. (Comp. offi.)

Dated Lucknow, May 18, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 41 of the Uttar Pradesh Ground Water (Management and Regulation) Act, 2019 (U.P. Act no. 13 of 2019), the Governor is pleased to nominate the Chairperson of each District Ground Water Management Council of the State for compounding of any offence referred under clause (b) of sub-section (1) of section 39.

By order,

ANURAG SRIVASTAVA,  
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-28-राजपत्र-(49)-2020-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी०-1 सा० नमामि गंगे-(80)-1000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।